

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, जयपुर

क्रमांक :- एफ.वी.32(3)/स्था./ब-1/2016/


दिनांक :

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.वी.1(1)स्था./ब-1/2018/1841 दिनांक 27.07.2019 के द्वारा पशुधन सहायक से पशुचिकित्सा सहायक के पद पर पदौन्नत कर्मचारियों का पशु चिकित्सा सहायक के पद पर पदस्थापन किया जाकर 15 दिवस में कार्यग्रहण हेतु निर्देशित किया गया था एवं निदेशालय के समसंख्यक आदेश 3074 दिनांक 04.09.2019 के द्वारा कार्यग्रहण की अवधि को बढ़ाकर 16.09.2019 तक करने के उपरान्त भी निम्नलिखित कार्मिकों द्वारा पदौन्नति पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने के कारण उनके नाम के समक्ष अंकितानुसार वर्ष में की गई पदौन्नति निरस्त की जाती है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	संस्था का नाम	वर्ग	पदौन्नति वर्ष
1.	श्री मोहन लाल शर्मा	उपकेन्द्र, मेरमण्डवाडा, सिरौही	GEN	2014-15
2.	श्री नाथूराम रैगर	पशु चिकित्सालय, किरडोली, सीकर	SC	2014-15

उपरोक्त कर्मचारियों की पदौन्नति निरस्त किये जाने के कारण ए.सी.पी. स्वीकृति की वसूली की जानी हो तो नियमानुसार परीक्षण उपरान्त प्रकरण निदेशालय को संबंधित अधिकारियों द्वारा भिजवाया जायेगा।



(डॉ० शैलेश शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.वी.32(3)/स्था./ब-1/2016/3612-21

दिनांक : 14-10-19

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र, निदेशालय पशुपालन विभाग.....।
2. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग।
3. प्रभारी अधिकारी।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा संयुक्त निदेशक।
5. संस्थापन ब-2 अनुभाग
6. रक्षित पंजिका।


(डॉ० महेश कटारा)
अतिरिक्त निदेशक(उत्पादन)

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, जयपुर

क्रमांक :- एफ.वी.32(3)/स्था./ब-1/2016/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.वी.1(1)स्था./ब-1/2018/1841 दिनांक 27.07.2019 के द्वारा पशुधन सहायक से पशुचिकित्सा सहायक के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों का पशु चिकित्सा सहायक के पद पर पदस्थापन किया गया था, उनमें से निम्नलिखित पशुधन सहायक द्वारा पदोन्नति परित्याग किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष अंकितानुसार वर्ष में की गई पदोन्नति निरस्त की जाती है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	संस्था का नाम	वर्ग	पदोन्नति वर्ष
1.	श्री एइन्द्र प्रसाद गुप्ता	बहुउद्देशीय पशुचिकित्सालय, झालावाड	GEN	2015-16

उपरोक्त कर्मचारी के द्वारा पदोन्नति परित्याग किये जाने के कारण ए.सी.पी. स्वीकृति की वसूली की जानी हो तो नियमानुसार परीक्षण उपरान्त प्रकरण निदेशालय को संबंधित अधिकारियों द्वारा भिजवाया जायेगा।




(डॉ० शैलेश शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.वी.32(3)/स्था./ब-1/2016/3623-29

दिनांक : 14-10-19

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र, निदेशालय पशुपालन विभाग.....।
2. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग.....।
3. प्रभारी अधिकारी।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा संयुक्त निदेशक।
5. संस्थापन ब-2 अनुभाग
6. रक्षित पंजिका।



(डॉ० महेश कटारा)
अतिरिक्त निदेशक(उत्पादन)